

## मैनुअल - 13

### धारा 4. (1) (बी) (xiii) आईटी द्वारा दी गई रियायतों, परमिट या प्राधिकरण का विवरण

भारत सरकार की उदारीकृत औद्योगिक नीति के तहत, अधिकांश परमिट/लाइसेंस प्रणालियों को खत्म कर दिया गया है। वर्तमान में उद्योगों को नई इकाई की स्थापना/मौजूदा इकाई के विस्तार के लिए एसआईए, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से पावती प्राप्त करने के लिए एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई.ई.एम.) दाखिल करना आवश्यक है।